मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/ 6011 /MIS/MGNREGS-MP/15, दिनांक 10/06/2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
जिला पंचायत – समस्त

विषयः– ई–एफएमएस के माध्यम से मनरेगा भुगतान एवं नरेगा सॉफ्ट के क्रियान्वयन की समस्याओं के संबंध में।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ई–एफएमएस अंतर्गत नरेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014–15 में दर्ज मस्टररोल तथा सामग्री बिल के आधार पर लंबित भुगतान प्रदर्शित हो रहा है। नरेगा सॉफ्ट में वित्तीय रिपोर्ट 2014–15 अनुसार कुछ जनपद पंचायतों द्वारा नरेगा सॉफ्ट में दर्ज मस्टररोल तथा सामग्री बिलों का भुगतान हेतु एफटीओ तैयार नहीं किये गये हैं एवं बैंक को नहीं भेजे गये हैं। ज्ञात हो कि 01 अप्रैल 2015 अथवा उसके बाद तैयार किये गये एफटीओ का भुगतान राज्य स्तरीय योजना खाते से किया जाना है एवं राज्य स्तरीय खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। अतः एफटीओ तैयार न करने तथा बैंक को न भेजने का कारण स्पष्ट नहीं है। यदि जनपद पंचायतों द्वारा एफटीओ तैयार कर बैंक भेजने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो कृपया समस्या का विवरण सहित भेजने का कष्ट करें।

2. नरेगा सॉफ्ट में वित्तीय वर्ष के 2014–15 में प्रदर्शित लंबित एफटीओ, 31 मार्च 2015 तक के तैयार एफटीओ, जिनका भुगतान जिला स्तरीय खाते से होना है, यदि उक्त एफटीओ आज दिनांक तक किसी तकनीकी समस्या के कारण बैंक को नहीं भेजे गयें हैं, अविलंब अवगत कराने का कष्ट करें।

3. वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में बैंक अथवा पोस्ट आफिस द्वारा रिजेक्ट किये गये समस्त ट्रजेंक्शन्स का पुनः एफटीओ तैयार कर शीघ्र बैंक को भेजने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे कि लंबित भुगतान का संबंधित हितग्राही के खाते में पहुचाया जा सके। यदि कोई भी रिजेक्टेड भुगतान (बैंक द्वारा आर11 त्रुटि के कारण रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन्स को छोडकर, जिस पर निराकरण की कार्यवाही की जा रही है) विहित प्रक्रिया का पालन करने के उपरान्त नरेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुनः एफटीओ तैयार नहीं हो पा रहा है, तो कृपया उसका विवरण देने का कष्ट करें।

4. वित्तीय वर्ष 2014–15 का लंबित भुगतान जिसको माह अप्रैल 2015 तक समय–सीमा में नरेगा सॉफ्ट में दर्ज नहीं किया गया, उसका जनपदवार डाटा एण्ट्री लंबित रहने के कारण सहित विवरण भेजने का कष्ट करें, जिससे कि राज्य स्तर पर वित्तीय वर्ष 2014–15 की डाटा एण्ट्री खोलने पर विचार किया जा सके।

5. राज्य स्तर से समस्त लंबित एफटीओ भुगतान की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 अथवा वित्तीय वर्ष 2015–16 के 20 मई 2015 तक के एफटीओ यदि नरेगा सॉफ्टवेयर में लंबित प्रदर्शित हो रहा है, तो कृपया हितग्राही के खाते का परीक्षण कराने के उपरान्त यदि संबंधित हितग्राही के खाते में भुगतान नहीं हुआ हो, तो लंबित भुगतान के एफटीओ की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 में नरेगा सॉफ्टवेयर में नवीन कार्य पंजीयन करने, डीपीआर फ्रीज करनें, रोजगार की मांग दर्ज करने, मस्टररोल जारी करने, मस्टररोल प्रिंट करने, वेजलिस्ट अथवा सामग्री लिस्ट तैयार करने, एफटीओ तैयार करने एवं एफटीओ बैंक अथवा पोस्ट आफिस भेजने में यदि किसी प्रकार की समस्या हो, तो निर्धारित प्रारूप में अविलंब जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे कि समस्या का त्वरित निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

मनरेगा अंतर्गत लेबर बजट 2015–16 के अनुरूप समस्त ग्राम पंचायतों में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु द्रुत गति से कार्य क्रियान्वित किये जाने एवं अविलंब भुगतान सुनिश्चित कराने एवं संबंधित समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने के लिये कृपया उपरोक्त बिन्दुओं का परीक्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

कृपया उपरोक्तानुसार बिन्दु क्र. 01 से 06 तक की जानकारी तथा ई–एफएमएस अंतर्गत नरेगा सॉफ्ट की समस्याओं की संलग्न बिन्दुवार जानकारी दिनांक 12/06/2015 तक **rddmp_mis@yahoo.com** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि समस्या का त्वरित निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। यदि कोई समस्या न हो तो कृपया निरंक जानकारी भेजने का कष्ट करें।

10/6/2015

(उवैस अहमद)
सिस्टम एनालिस्ट एवं
स्टेट नोडल अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

निम्नलिखित जानकारी दिनांक 21/06/2015 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. जॉबकार्ड अपडेशन
2. पीओ लेबल पर आधारकार्ड अपडेशन एवं सत्यापन
3. कार्य का आवंटन
4. ई–मस्टररोल जारी करना
5. वर्क रजिस्ट्रेशन
6. डीपीआर फ्रीजिंग
7. वेजलिस्ट जारी करना
8. बिल/व्हाउचर एण्ट्री एवं मटेरियल लिस्ट
9. वेंडर रजिस्ट्रेशन
10. मटेरियल/कुशल/अर्धकुशल/कुशल
11. रिजेक्ट मटेरियल लिस्ट
12. एफटीओ (प्रथम एवं द्वितीय सिगनेटरी समस्यायें)
13. बैंक स्तर पर लंबित एफटीओ
14. अन्य प्रकार की समस्यायें